

2024 | 29

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

18 महत कैम्प
प्रशासन भागों के संग
अभियान-2023

18

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
नावा

25/11/24

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मुवाना की जमाबन्दी सम्वत 2073-76
के खाता संख्या 4 में

चम्पादेवी पत्नी गोमसिंह

अंकन दर्ज है, अतः उक्त खाते में

गोविन्दसिंह चम्पादेवी पत्नी

अंकन करवाते हुए दुरुस्ती
किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

हस्ताक्षर प्रार्थी / हल्का पटवारी

रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार :-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नावा निवेदन है कि :-

ग्राम मुवाना की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 4 में

जमाबन्दी में अंकित वर्तमान प्रविष्टि	जमाबन्दी में की जाने वाली प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टि
<u>चम्पादेवी पत्नी गोमसिंह</u>	<u>चम्पादेवी पत्नी गोविन्दसिंह</u>

इस प्रकार जमाबन्दी में अंकित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टि के अनुसार अंकन किये जाने उचित है। अतः प्रस्तावानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

पटवारी हल्का पुतना भू अभिलेख निरीक्षक 11/12/2023 तहसीलदार नावा तहसीलदार (भू.अ.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नावा, जिला नागौर कैम्प ग्रा.प. मु.ग.1-V

क्रमांक/प्र.गा.के.सं.अभि/2021/39

दिनांक 25/11/2024

आदेश

प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावा द्वारा की गयी रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नावा को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी नावा
उपखण्ड अधिकारी

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नावा, जिला नागौर कैम्प ग्रा.प. मु.ग.1-V

क्रमांक/प्र.गा.के.सं.अभि/2021/

दिनांक /2021

मूल ही पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है कि माफिक आदेश राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अंकन कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (भू.अ.) नावा